

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-04/2024

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री हरेराम ठाकुर, कनीय अभियंता, (आई0डी0-जे0 10173), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2, झंझारपुर का स्वयं की चिकित्सा में बितायी गयी अवधि दिनांक 31.10.2019 से 14.12.2019 तक (कुल-45) दिनों को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर को उनके पत्रांक-1319 दिनांक 27.05.2024 एवं पत्रांक-133 दिनांक 14.01.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2, झंझारपुर / श्री हरेराम ठाकुर, कनीय अभियंता, (आई0डी0-जे0 10173), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल-2, झंझारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 1325 पटना, दिनांक - 22.3.2025
प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अवर सचिव (प्रबंधन)
19-03-25